

झारखण्ड विधान-सभा



झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन
(संशोधन) विधेयक, 2012

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2012

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

प्रस्तावना।

धाराएँ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2007) की धारा 5(1)(क) तथा 5(1)(ख) का प्रतिस्थापन।
3. निरसन एवं व्यावृत्ति।

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2012

[सभा द्वारा यथापारित]

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-15 के लिये निर्धारित राज्य राजकोषीय समेकित नीति के अनुरूप झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 में संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :—

- (i) यह अधिनियम झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जायेगा।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii) यह राजकीय गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2007) की धारा 5(1)(क) तथा 5(1)(ख) का प्रतिस्थापन।

- (i) झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 की धारा 5(1)(क) को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :—

“दिनांक 31 मार्च, 2012 की समाप्ति पर राजस्व घाटे को शून्य के स्तर पर लाना तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 तक राजस्व घाटे को शून्य के स्तर पर बनाये रखना।”

- (ii) झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 की धारा 5(1)(ख) को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :—

“दिनांक 31 मार्च, 2012 की समाप्ति पर राजकोषीय घाटे को घटाकर अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% (तीन प्रतिषत) तक सीमित करना तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 तक राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित बनाए रखना।”

3. निरसन एवं व्यावृत्ति :-

- (i) झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (झारखण्ड अध्यादेश संख्या-01, 2012) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

- (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

1. ਪਾਂਡਿ ਬਿਆਨ੍ਹ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਵਾਲੇ (iii)

आरखण्ड राजकोषीय लालचतावित्र एवं बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयम् 2012

यह विधेयक झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2012 दिनांक 29 मार्च, 2012 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 29 मार्च, 2012 को सभा द्वारा पारित हुआ।

यह एक धन विधेयक है।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष।

निम्नलिखित रूप में अधिसूचित है—

संक्षेप ग्रन्थ विस्तार एवं प्राप्ति—

(i) यह अधिसूचित आरखण्ड राजकोषीय लालचतावित्र एवं बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयम् 2012 को दर्शाता है।

(ii) इसका विस्तार समृद्धि लालचतावित्र एवं बजट प्रबन्धन अधिसूचित है।

(iii) यह राजकोषीय बजट ने अधिसूचित होने की लिये ये प्राप्ति होगी।

१. आरखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2007 (आरखण्ड अधिनियम ३५, 2007) को यात्रा अद्य (क) तथा ६(१)(क) का अतिव्यापन।

(i) आरखण्ड राजकोषीय लालचतावित्र एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2007 की यात्रा ६(१)(क) को निम्न रूप से प्रतिव्याप्ति किया जायेगा यथा—

“दिनांक ३१ मार्च, २०१२ को समाप्त ये राजस्व बजट को शूद्र ने राजस्व बजट के रूप में अपनाया है।”

(ii) आरखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2007 की यात्रा ६(१)(क) को निम्न रूप से प्रतिव्याप्ति किया जायेगा यथा—

“दिनांक ३१ मार्च, २०१२ को समाप्त ये राजस्व बजट को यात्रा ६(१)(क) का प्रतिव्याप्ति दिनांक ३१ मार्च, २०१४ तक राजकोषीय बजट को समाप्त यथा।”